

# कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक 21/08/2025

- सूचना -

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-180/एन०डी०/2025 दिनांक 25-06-2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 22-08-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gsvmedicalcollege.com](http://www.gsvmedicalcollege.com) पर उपलब्ध है। पदों की सख्या घट बढ़ सकती है।

| क्र० सं० | विशिष्टता का नाम                                  | संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या |                |                |           |  |  |  |  |   |
|----------|---|--|----------------|----------------|-----------|--|--|--|--|---|
|          |   | आचार्य   | आरक्षित श्रेणी | रोस्टर क्रमांक | सह आचार्य | आरक्षित श्रेणी   | रोस्टर क्रमांक   | सहायक आचार्य   | आरक्षित श्रेणी   | रोस्टर क्रमांक  |
| 1        | आर्थोपेडिक्स                                      | 1 द्रामा   | अनारक्षित      | (4)            | 1         | ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित  | (57)<br>(58)   | 1  | एस०सी०   | (83)  |
| 2        | आयुर्वेद/लोर्जा                                   | 0  | 0              | 0              | 1         | एस०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०  | (59)<br>(60)   | 1  | अनारक्षित  | (104)   |
| 3        | आक्सट्रिटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी                    | 0  | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 4        | इम्पूनी हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन | 0  | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 5        | इमरजेंसी मेडिसिन                                  | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०  | (66)<br>(67)   | 1<br>1   | ई०डब्ल्यू०एस०<br>एस०सी०<br>अनारक्षित   | (110)<br>(111)<br>(112)   |
| 6        | एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)                    | 1  | अनारक्षित      | (38)           | 1         | ओ०बी०सी०   | (37)   | 1  | एस०सी०   | (59)  |
| 7        | एनाटमी  | 0  | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 1  | ओ०बी०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०  | (39)<br>(40)<br>(51)<br>(76)<br>(86)<br>(87)  |
| 8        | एनेस्थीसिया                                       | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित                   | (6)<br>(9)<br>(68)<br>(69)<br>(70)<br>(71)<br>(72)             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                   | 1 द्रामा<br>1 (न्यूरो सर्जरी)<br>एस०सी०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०  | (9)<br>(14)<br>(15)<br>(113)<br>(114)<br>(115)<br>(116)<br>(119)  |
| 9        | एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)                     | 0  | 0              | 0              | 1         | ओ०बी०सी०   | (39)   | 1  | ओ०बी०सी०   | (61)  |
| 10       | ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)                         | 1  | ओ०बी०सी०       | (57)           | 0         | 0  | 0  | 1  | ई०डब्ल्यू०एस०  | (120)   |
| 11       | कम्युनिटी मेडिसिन                                 | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित  | (12)   | 1<br>1<br>1<br>1 मेडि०आपी० आफ हेल्थ कम प्रवक्ता/सहायक आचार्य | ओ०बी०सी०<br>ओ०बी०सी०<br>एस०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०  | (19)<br>(81)<br>(121)<br>(160)  |
| 12       | किटिकल केयर (पीएमएसएसवाई)                         | 1  | ई०डब्ल्यू०एस०  | (40)           | 0         | 0  | 0  | 1  | अनारक्षित  | (62)  |
| 13       | जनरल मेडिसिन                                      | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>1 गैस्ट्रोलाजी | (76)<br>(77)<br>(78)<br>(80)<br>(81)<br>(104)<br>(105)<br>(31) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                              | ई०डब्ल्यू०एस०<br>एस०सी०<br>एस०टी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०         | (20)<br>(41)<br>(47)<br>(52)<br>(53)<br>(54)<br>(63)<br>(64)<br>(123)<br>(124)<br>(125)<br>(126)<br>(127) |
| 14       | जनरल सर्जरी                                       | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>एस०सी०   | (84)<br>(85)<br>(87)<br>(88)<br>(89)                           | 1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 1 द्रामा<br>अनारक्षित<br>अनारक्षित<br>अनारक्षित<br>एस०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>ओ०बी०सी०<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>एस०सी०<br>ओ०बी०सी०<br>अनारक्षित<br>ओ०बी०सी०<br>एस०सी० | (24)<br>(42)<br>(44)<br>(65)<br>(99)<br>(100)<br>(129)<br>(130)<br>(131)<br>(165)<br>(167)<br>(169)       |
| 15       | ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरटरी मेडिसिन             | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित<br>ई०डब्ल्यू०एस०<br>अनारक्षित  | (54)<br>(90)<br>(106)  | 1  | अनारक्षित  | (134)   |
| 16       | डर्मिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)                   | 1  | ओ०बी०सी०       | (65)           | 0         | 0  | 0  | 1  | एस०सी०   | (135)   |
| 17       | डिप्लोमा  | 0  | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 18       | न्यूरोलॉजी  | 0  | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 1  | ओ०बी०सी०   | (27)  |
| 19       | न्यूरोसर्जरी                                      | 1  | एस०सी०         | (25)           | 1         | एस०सी०   | (111)  | 0  | 0  | 0   |
| 20       | न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)                   | 0  | 0              | 0              | 1         | अनारक्षित  | (44)   | 0  | 0  | 0   |

|    |   |    |           |      |    |              |       |   |              |       |
|----|---|----|-----------|------|----|--------------|-------|---|--------------|-------|
| 21 | नेफालाजी, (मेडिसिन)<br>नेफोलॉजी(पीएमएसएसवाई)  | 1  | ओपीसीओ    | (27) | 0  | 0            | 0     | 0   | 0            | 0     |
| 22 | पीडियाट्रिक्स                                 | 1  | अनारक्षित | (66) | 1  | अनारक्षित    | (92)  | 1 (साइकलोगिकल/मेडिकल)<br>1 सहायक आचार्य<br>काग सीमा कालावधि | 0            | 0     |
|    |   |    |           |      | 1  | एसओसीओ       | (93)  |   | ईओडब्ल्यूएसओ | (30)  |
|    |   |    |           |      | 1  | अनारक्षित    | (94)  |   | ईओडब्ल्यूएसओ | (70)  |
|    |   |    |           |      | 1  | ओपीसीओ       | (95)  |   | ओपीसीओ       | (139) |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | ईओडब्ल्यूएसओ | (140) |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | ईओडब्ल्यूएसओ | (170) |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | ओपीसीओ       | (171) |
| 23 | पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)                     | 1  | एसओसीओ    | (45) | 1  | एसओटीओ       | (47)  | 1   | ओपीसीओ       | (71)  |
| 24 | विशालाजी                                      | 0  | 0         | 0    | 0  | 0            | 0     | 0   | 0            | 0     |
| 25 | फार्माकालाजी                                  | 1  | एसओसीओ    | (49) | 1  | एसओसीओ       | (25)  | 1   | एसओसीओ       | (83)  |
| 26 | फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई) | 0  | 0         | 0    | 1  | अनारक्षित    | (48)  | 1   | एसओसीओ       | (173) |
| 27 | फिजियोलॉजी                                    | 0  | 0         | 0    | 0  | 0            | 0     | 0   | 0            | 0     |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | ओपीसीओ       | (46)  |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | अनारक्षित    | (94)  |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | एसओसीओ       | (145) |
| 28 | फॉरेन्सिक मेडिसिन                             | 1  | अनारक्षित | (52) | 0  | 0            | 0     | 1   | अनारक्षित    | (96)  |
|    |   |    |           |      |    |              |       |   | अनारक्षित    | (146) |
| 29 | बायोकेमिस्ट्री                                | 0  | 0         | 0    | 1  | अनारक्षित    | (96)  | 0   | 0            | 0     |
| 30 | माइक्रोबायोलॉजी                               | 0  | 0         | 0    | 0  | 0            | 0     | 0   | 0            | 0     |
| 31 | यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)                        | 0  | 0         | 0    | 0  | 0            | 0     | 0   | 0            | 0     |
| 32 | रेडियोलॉजी                                    | 1  | ओपीसीओ    | (37) | 1  | ईओडब्ल्यूएसओ | (90)  | 1   | ओपीसीओ       | (37)  |
|    |   |    |           |      | 1  | अनारक्षित    | (98)  | 1   | अनारक्षित    | (38)  |
|    |   |    |           |      | 1  | एसओसीओ       | (99)  | 1   | अनारक्षित    | (56)  |
|    |   |    |           |      | 1  | ईओडब्ल्यूएसओ | (100) | 1   | अनारक्षित    | (152) |
|    |   |    |           |      | 1  | एसओसीओ       | (101) | 1   | एसओसीओ       | (153) |
|    |   |    |           |      | 1  | अनारक्षित    | (102) | 1   | अनारक्षित    | (154) |
|    |   |    |           |      |    |              |       | 1   | ओपीसीओ       | (155) |
|    |   |    |           |      |    |              |       | 1   | अनारक्षित    | (156) |
|    |   |    |           |      |    |              |       | 1   | ओपीसीओ       | (157) |
|    |   |    |           |      |    |              |       | 1   | ओपीसीओ       | (161) |
| 33 | साइकियेट्री                                   | 1  | अनारक्षित | (68) | 1  | ओपीसीओ       | (103) | 0   | 0            | 0     |
|    |   |    |           |      |    |              |       | 1   | फिजिसिस्ट    |       |
|    |   | 13 |           |      | 49 |              |       | 80  |              |       |

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,60,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹0-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थव्यवस्था तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थव्यवस्था को पूर्ववर्ती अर्थव्यवस्था पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्त नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थव्यवस्था/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमनोपकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारीत नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नभिय में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमनोपकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्त होगी।
- अर्थव्यवस्था से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुगमा-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8,00,000 तक से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एन0एम0सीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्त होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अर्थव्यवस्था एम0डी0/एम0एसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं-239 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर